पत्र संख्या–ए/मु0–44–15/2016........................../

स्पीड पोस्ट/फैक्स

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी
गया

पटना, दिनांक–..........................2017

विषय :– दिनांक–25.05.2016 को उग्रवादियों द्वारा हत्या किए जाने के फलस्वरूप मृतकों रवि राकेश उर्फ सुदेश पासवान एवं सुनील पासवान की निकटतम आश्रिता/पत्नी क्रमशः मो0 कुमारी माया रानी एवं मो0 कान्ति देवी, दोनों ग्राम–काचर, थाना–डुमरिया, जिला–गया को विभागीय संकल्प–8960 दिनांक–30.09.2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत 5.00 लाख रूपया प्रति मृतक अनुग्रह अनुदान की कुल राशि ₹ 10,00,000 (दस लाख) के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, गया के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–117/मु0 दिनांक–19.12.2016 के क्रम में आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी,गया को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, गया को वर्त्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, गया को कुल आवंटित राशि।
₹ 5,00,000/– (पाँच लाख) रूपये मात्र।	₹ 10,00,000 (दस लाख) रूपये मात्र।	₹ 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) रूपये मात्र।

महाशय,

उपरोक्त आबंटित राशि ₹ 10,00,000/– (दस लाख) रूपये मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मांग संख्या–22 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम–उपशीर्ष–0004–दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (विपत्र कोड संख्या– N2235602000004) के अन्तर्गत विषय शीर्ष–31 02 अनुग्रह अनुदान में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. जिला पदाधिकारी, गया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान मृतक के आश्रित को समुचित पहचान कर की गई है। राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा।

3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, गया होंगे।

4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायगी।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, गया की होगी।

कृ0पृ0उ0

50 Suresh Sir Sec-A Allotment

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, गया द्वारा मात्र उक्त पीड़ित व्यक्ति / मृतक के आश्रित / आश्रिता को अनुग्रह–अनुदान / मुआवजा के रुप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।

7. जिला पदाधिकारी, गया का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का व्यय–विवरणी / उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह विभाग, (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय यानी वित्तीय वर्ष 2016–17 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रुप से उपलब्ध करा देंगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, गया द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग, (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रुप से कर दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए / मु0–44–15 / 2016........................ / पटना, दिनांक–...............2017

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हक0) / महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए / मु0–44–15 / 2016........................ / पटना, दिनांक–...............2017

स्पीड पोस्ट / फैक्स

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया / वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए / मु0–44–15 / 2016........................ / पटना, दिनांक–...............2017

प्रतिलिपिः– उप सचिव, प्रशाखा 'ए' गृह विभाग, (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए / मु0–44–15 / 2016–1727 / पटना, दिनांक–02/03/2017

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 02-03-17
सरकार के विशेष सचिव

61 Suresh Sir Sec-A Allotment